न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 137/2010

सायल :-

1. मदनदास पुत्र हेमदास
   जाति-वैष्णव, निवासी-कुडकी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम गै0सा0 :-

1. किशोरदास पुत्र हेमदास
   जाति-वैष्णव, निवासी-कुडकी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. सीपूड़ीदेवी पुत्री हेमदास पत्नि
   महावीरदास, जाति-वैष्णव
   निवासी-सरसड़ी (कालेसरा)
   तहसील-पिसांगन, जिला-अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:. 25/11/2010

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 08/07/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल एक ही पिता की संतान हैं। वंशावली अनुसार मूल पुरूष हेमदास के वारिसान किशोरदास, सीपूड़ीदेवी व मदनदास हैं। सरहद मौजा-कुडकी, तहसील-जैतारण में खसरा नंबर 646 रकबा 11 बीघा 14 बीस्वा, खसरा नंबर 977 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा व खसरा नंबर 779 रकबा 12 बीघा 4 बीस्वा, कुल किता-3 कुल रकबा 25 बीघा 14 बीस्वा की आई हुई हैं। यह जमीन उगमसिंह पुत्र राजसिंह की थी रेकर्ड में उसकी जाति-राजपूत व पिता का नाम रामचंद गलत लिखा हुआ हैं। यह जमीन हेमदास ने खरीद कर गै.सा. संख्या 2 के नाम कराई थी। सायल की मां का देहान्त सायल जब मात्र 6 माह का था, तब देहान्त हो चुका था, अभी गैरसायल करीब 47 वर्ष व वाद की प्रतिवादीया सं. 2 करीब 45 वर्ष की है व सायल करीब 41 वर्ष का हैं। गैरसायल सं0 1 की शादी काफी वर्ष पहले हो चुकी थी व करीब 12 वर्ष पहले पक्षकारों के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आज से करीब 26-27 वर्ष दिनांक 23/06/83 को उक्त जगीन पक्षकारो के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी कमाई से रुपये 13000/- रुपयें में खरीद कर गैरसायल किशोरदास व वाद की प्रतिवादी संख्या 2 सीपूड़ीदेवी के नाम रजिस्ट्री करवाई थी, क्योकि वादी/सायल उस समय 14-15 साल का नाबालिग था नकल राशनकार्ड पेश की हैं। मां की मृत्यु हो रखी थी व दोनो गैरसायल की शादिया हो चुकी थीं स्वयं पिता गांव कुडकी में डोली रुगनाथ जी मंदिर की काश्त बतौर पुजारी करते। इस कारण पिताजी की अच्छी आमदानी व घर में उचित आर्थिक फंड होने से उक्त जगीन दोनो बालिग गैरसायल व वाद की प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम करवायी गई और पूरे गांव के समक्ष यह निश्चित किया गया था कि सायल बालिग

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होने पर उक्त जमीन में सायल का नाम दर्ज करवा दिया जाएगा। लेकिन आज के करिब 12-13 वर्ष पहले पिताजी की मृत्यु हो गई व जीवितकाल में भी उक्त जमीन की देख रेख खडाई बुवाई फसल लेना सभी पिताजी ही लेकर सामलाती रुप से फसल की रकम घर के काम में लेतें थे। पिताजी अनपढ होने से व कानूनी जानकारी नहीं होने से सायल के नाम दर्जन ही करवायी गई। चूंकि सायल बालिग होने पर गाडिया डाईविंग का काम करने से ज्यादा समय बाहर जाना पडता था। इसलिए सायल की सहमति से सायल का हिस्सा भी गैरसायल खडाई, बुवाई करता रहता व गैरसायल अपनी मजदूरी, बीज, खडाई की रकम काटकर सायल को अदा कर देता रहा हैं। लेकिन अभी पिछले 4-6 माह में गैरसायल की नियत में खोट आ गई। गत कातीसरा फसल के लिये राज्य सरकार द्वारा काश्तकार को अनुदान / मुआवजा देने की योजना से गैरसायलान को अनुदान/मुआवजा सायल को अपने हिस्से 1/3 की रकम देने से मना कर दिया व एलानिया धमकी दी कि तुम्हारा नाम रेकर्ड में नही होने से मुआवजा रकम नही देगा। इस पर सायल ने पुरे गांव को इकट्ठा किया, जो सभी गावं वालो ने इस बाबत सायल के पक्ष मे शपथपत्र किए, जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। चूंकि उक्त जमीन पक्षकारो के पिता की कमाई, खेती की आमदानी से खरीदी हुई होने से संयुक्त परिवार की जायदाद होने से सायल 1/3 हिस्सा का वंशानुगत हिस्सेदार हैं। दिनांक 05/11/2010 को दिवाली व दुसरे दिन 06/11/2010 को दीवाली मिलन के दिन सायल ने गैरसायल को इस संबन्ध में बात की व सायल का भी नाम 1/3 हिस्से में दर्ज करवाने की लिखापढी करने का कहा लेकिन गैरसायल ने और विशेष तौर पर गैरसायल की नियत मे फर्क आ गया तथा चूंकि गैरसायल ने कभी काश्त नहीं किया उसके हिस्से की 1/3 की जो वाद के प्रतिवादी सं. 2 की है, जो गैरसायल ही खाता हैं। इसलिए लोभवश गैरसायल ने ऐलानिया धमकी दी कि वह सायल को 1/3 हिस्सा की फसल नहीं देगा, ना ही मुआवजा की रकम देगा, ना बंटवाडा करेगा, ना ही काश्त करने देगा। जबकि संयुक्त परिवार की संपति में सायल का कानूनी हक हिस्सा व अधिकार है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायल के पेश किया हैं। सायल के स्वयं के शपथ पत्र व गांव वालो के शपथ पत्र व दस्तावेजात से सायल के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्राईमा फैसाई केस हैं अगर गैरसायल जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर सायल को अपने 1/3 हिस्से में काश्त नहीं करने दी, तो सायल को असीम क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन किसी कदर संभव नही होगा व मौके पर सायल का 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होने की सुविधा का संतुलन भी हरदृष्टिकोण से सायल के पक्ष में हैं व गैरसायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25/11/2010 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायल व गै0सा0 एक ही पिता की संतान हैं। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि का विक्रय व हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–कुडकी, तहसील–जैतारण में खसरा नंबर 646 रकबा 11 बीघा 14 बीस्वा, खसरा नंबर 977 रकबा 1 बीघा 16 बीस्वा व खसरा नंबर 779 रकबा 12 बीघा 4 बीस्वा, कुल किता–3 कुल रकबा 25 बीघा 14 बीस्वा भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि का विक्रय व हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 25/11/2010 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र–कुइकी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner